(09)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेष, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 373–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–12–12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, छतरपुर प्रकरण कमांक 731/स्व.प्रे.निग./अ–6–अ/07–08.

अनुराग महतो तनय डॉ0 गोविंद माधव महतो
निवासी गुरूद्वारा के सामने महोबा रोड, छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 ....
आवेदक
विरुद्ध

1– पूरनपुरी तनय विष्णु पुरी गोस्वामी
2– राजेश पुरी तनय विष्णुपुरी गोस्वामी
3– धर्मेन्द्र पुरी तनय मंगलपुरी गोस्वामी
समस्त निवासगण सिद्ध गणेशन मार्ग छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0
4– मध्यप्रदेश शासन
5– भागीरथ पाठक पुत्र श्री हरलाल पाठक
6– उर्मिला पाठक पत्नि भागीरथ पाठक
निवासी याहू वार्ग वार्ड नं. 6
टौरिया मोहल्ला छतरपुर ....
अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव
अनावेदक कमांक स्वयं उपस्थित ।
शेष अनावेदक – एक पक्षीय

....

आदेश

(आज दिनांक 8-8-2016 को पारित)

....

यह निगरानी अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 731/स्व.प्रे.निग./अ–6–अ/07–08 में पारित आदेश दिनांक 11–12–12 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सौरा स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 7 व 9 शासकीय भूमि है जिसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से अअनावेदक कमांक 2 लगायत 4 के नाम दर्ज किया गया । उक्त व्यक्तियों द्वारा भूमि को आवेदक को विकय किया गया । शासकीय भूमि को विकय करने के कारण प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिए जाने हेतु अनावेदक कमांक 5 एवं 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयक में आवेदन दिया गया जिस पर से अपर कलेक्टर ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत आलोच्य आदेश दिनांक 11–12–12 को आदेश पारित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि प्रश्नराधीन भूमि वर्ष 2000 तक शासकीय अभिलेख में म0प्र0 शासन दर्ज रही । सहायक बंदोवस्त अधिकारी के राजस्व प्रकरण कमांक 268/अ–6–अ/97–98 आदेश दिनांक 24.4.99 द्वारा अभिलेख में हुई त्रुटि सुधार करने की खातेदारों के रकबे की पूर्ति शासकीय भूखंड से करने के आदेश दिए गये हैं जो विधि विरूद्ध हैं । उक्त आधार पर उन्होंने सहायक बदोवस्त अधिकारी का उक्त आदेश निरस्त कर उक्त आदेश के अनुसरण में की गई सभी कार्यवाही शून्यवत घोषित करते हुए प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं । अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 एकपक्षीय हैं ।

5/ अनावेदक कमांक 5 एवं 6 की ओर से लिखित बहस पेश की गई है ।

6/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अनावेदक कमांक 5 एवं 6 की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 7/1, 7/2 व 9 शासकीय भूमि होकर राजस्व अभिलेखों में मध्यप्रदेश शासन दर्ज रही है । सहायक बंदोवस्त अधिकाहरी द्वारा प्रकरण कमांक 268/अ–6–अ/97–98 में दिनांक 24–4–99 को आदेश पारित कर अभिलेख में हुई त्रुटि को सुधार करने के लिए अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के खाते में कम हुई भूमि की पूर्ति शासकीय भूमि से की गई है जो कि पूर्णतया विधि के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही होकर अवैधानिक कार्यवाही है । इस संबंध में अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसम्मत है कि बंदोवस्त के दौरान यदि रकबे में कमी पाई जाती

है तब उसकी पूर्ति खातेदार की भूमि से ही की जायेगी शासकीय भूमि से नहीं । दर्शित परिस्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 24–4–99 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए अपर कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर कलेक्टर, द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर